भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 437

दिनांक 19.11.2019/ 28 **कार्तिक**, 1941 **(शक) को उत्तर के लिए**

नैटग्रिड का परिचालन

†437. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री ए.के.पी. चिनराजः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड) की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि नैटग्रिड अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) बजटीय आबंटन और जनशक्ति परिनियोजन के आधार पर नैटग्रिड की वर्तमान स्थिति क्या है और उन केंद्रीय एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनकी प्रथम चरण में नैटग्रिड प्लेटफॉर्म पर डेटा तक पहुंच होगी;

(ङ) क्या नैटग्रिड ने आयकर विभाग से आठ करोड़ करदाताओं के आंकड़े पाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नैटग्रिड, जो रियल-टाइम डेटा प्रणाली से युक्त है, ''खुफिया और सुरक्षा संगठन'' के दायरे में आता है, इसलिए यह सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम से मुक्त है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) आवश्यक वास्तविक और डिजिटल अवसंरचना कब तक तैयार होगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): जी, हां। केंद्र सरकार में उपयुक्त स्तर पर नैटग्रिड की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग): नैटग्रिड ने प्रौद्योगिकी के प्रूफ (पीओटी) के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे अभी पूरी तरह शुरू किया जाना है। नैटग्रिड सॉल्यूशन को दिनांक 31.12.2020 तक शुरू (लाइव) करने की योजना है।

(घ): चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, नैटग्रिड परियोजना के लिए 84.80 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। 119 स्वीकृत सरकारी पदों की तुलना में, वर्तमान में कुल 53 अधिकारी पदासीन हैं; जबकि 123 संविदा आधारित पदों की तुलना में, 21 परामर्शदाताओं को तैनात किया गया है। पहले चरण में नैटग्रिड प्लेटफार्म पर केंद्रीय एजेंसियों को डाटा सुलभ होगा।

(ड): जी, नहीं।

(च): सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 09.06.2011 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 442 (अ) के तहत नैटग्रिड को आरटीआई अधिनियम, 2005 से छूट प्राप्त है।

(छ): वास्तविक अवसंरचना को दिनांक 31.03.2020 तक पूरा किए जाने और आईटी सॉल्यूशन को दिनांक 31.12.2020 तक शुरू (लाइव) करने की योजना है।

*****